<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम</u> श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—176 / 2014 संस्थित दिनांक 11.03.2014 फा.नंबर—234503001212014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)

___<u>अभियोजन</u>

प्रहलाद पिता माखनलाल, उम्र—32 वर्ष, निवासी झिरिया थाना परसवाडा जिला बालाघाट।

____<u>आरोपी</u>

//<u>निर्णय</u>// (आज दिनांक 05/01/2018 को घोषित)

/ / विरुद्ध

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए एवं 323 के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक 16.02.2014 को दोपहर समय 1:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम झिरिया में फरियादिया श्रीमती हेमलता निगने को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कर फरियादिया श्रीमती हेमलता निगन को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादिया श्रीमती हेमलता निगन ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पित शादी के एक वर्ष पश्चात से छोटी—छोटी बातों को लेकर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करता रहता है। दिनांक 16.02.2014 को दिन के करीब 1:00 बजे हाथ—मुक्कों से मारपीट कर बाल पकड़कर घर से निकाल दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका—नक्शा, गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 26/14 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
- 03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए एवं 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान

फरियादिया / आहत श्रीमती हेमलता निगने ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04-प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि

01.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 16.02.2014 को दोपहर समय 1:00 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम झिरिया में फरियादिया श्रीमती हेमलता निगने को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

<u>सकारण निष्कर्षः-</u>

- फरियादी / आहत हेमलता अ.सा.०१ ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है, जो उसका पति है। आरोपी से उसका विवाह वर्ष 2004 में हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। करीब दो-तीन वर्ष पूर्व आरोपी के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उसके विरूद्ध परसवाडा थाने में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढकर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 तथा मौका नक्शा प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर है, जो थाने में तैयार किये गये थे। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उन्हें उक्त बात बता दी थी। आरोपी उससे मारपीट नहीं करता और ना ही उसके द्वारा की गई मारपीट से उसे कोई चोट आई थी। आरोपी द्वारा कभी उसे प्रताडित नहीं किया गया और ना ही उसने अपनी माँ तथा भाई को ऐसी कोई बात बताई थी। पुलिसवालों ने उसका मुलाहिजा करवाया था और उसने उन्हें बता दिया था कि उसे गिरने से चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था तथा पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते है। उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है और वह उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।
- 06— स्वयं फरियादी / आहत हेमलता अ.सा.01 घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है और कहा है कि घटना के

समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की गई थी तथा वह आरोपी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी/आहत हेमलता को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः अभियुक्त प्रहलाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

07- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

08— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 18.02.2014 से दिनांक 19.02. 2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

